न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1, अयोध्या।

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–522/2026
Computer Registration No– 1083/2026
C.N.R. No. UPFZ0–1003159–2026

1. **सुरेन्द्र गौड़** पुत्र रामजीत गौड़ निवासी अश्वनीपुरम् कालोनी वजीरगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या
2. **धीरज यादव उर्फ अभिषेक यादव** पुत्र स्व० रामबहाल निवासी वजीरगंज, जप्ती, पेट्रोल पम्प के पास, थाना कोतवाली नगर, जिला अयोध्या

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य .....विपक्षी

मु.अ.सं.–232/2026
धारा– 305(a), 317(2) बी.एन.एस
थाना– कोतवाली नगर
जिला अयोध्या।

जमानत आदेश

1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा मु.अ.सं.– 232/2026 अंतर्गत धारा– 305(a), 317(2) बी.एन.एस, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या के प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण **सुरेन्द्र गौड़** व **धीरज यादव उर्फ अभिषेक यादव** का जमानत आवेदन पत्र आदेश दिनांकित– 15.05.2026 के माध्यम से निरस्त करने के उपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र सत्र न्यायाधीश अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त कराया गया।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है न निस्तारित किया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि स्थानीय थाने की पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर फर्जी तौर से प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी एवं काल्पनिक कहानी गढ़ते हुए अभियुक्त बना दिया गया है। सुबह 06:30 की घटना बतायी गयी है तथा घटना स्थल से थाने की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है और वादी मुकदमा स्वयं पुलिस न बुलाकर प्रार्थीगण को मयसरिया थाने ले गया था। घटना के लगभग 8 घण्टे के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट 14:22 बजे दर्ज की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त घटना वादी मुकदमा द्वारा सोच समझकर प्रार्थीगण को फसाने के लिए की गयी है। जबकी सत्यता यह है कि प्रार्थीगण उक्त घटना स्थल से जा रहे थे तथा सरिया रास्ते में पड़ी थी जिसको हटाकर प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के बगल रखा जा रहा था कि तभी वादी मुकदमा देवेन्द्र कुमार से प्रार्थीगण में कहासुनी होने लगी तथा वादी मुकदमा अपने साथियों के साथ प्रार्थीगण से मारपीट की गयी तथा जबरदस्ती थाने ले जाकर चोरी का मुकदमा पुलिस से मिलकर दर्ज करा दिया गया। प्रार्थीगण सर्वथा निर्दोष है। इनके द्वारा कोई अपराध नही कारित किया गया है। प्रार्थीगण की जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा 15/05/2026 को सरसरी तौर पर निरस्त की जा चुकी है।

3. वादी मुकदमा श्री देवेन्द्र कुमार ने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर को एक तहदीर दिया जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 232/2026 दिनांक 06.05.2026 समय 14.22 बजे पंजीकृत किया गया। तहरीर के अनुसार प्रार्थी देवेन्द्र कुमार करीब ढेड़ वर्ष से एकमें कम्पनी में कार्यरत है जिसका कार्यालय अंजनीपुरम थाना को० नगर जनपद अयोध्या में हैं। एकमे कम्पनी नाला बनाने का काम करती है। फैजाबाद में गुलाबबाड़ी से फतेहगंज तक नाला बनाने का काम लिया है कम्पनी का जो भी सामान गिट्टी, मौरंग, सरिया, सिमेन्ट कम्पनी मगाती है वो कार्यालय पर रखा जाता है। जिसकी चौकीदारी प्रार्थी करता है। दिनांक 06.05.2026 को सुबह करीब 6.30 बजे प्रार्थी कम्पनी

Digitally signed by Surendra Mohan Sahay
Date: 2026.06.06 16:48:14 NPT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के परिसर में टहल रहा था तब उसने देखा कि दो व्यक्ति कम्पनी के परिसर में पड़ी हुयी सरिया के बंडल को उठाकर ले जा रहे थे तब मैंने उन दोनो लोगो की सरिया ले जाते हुए वीडियो बना ली थी फिर मैने आवाज लगायी तो कम्पनी में काम करने वाले विमलेन्द्र, अर्पित व लौकुश उसकी आवाज सुनकर आ गये तो हम लोगों ने दोनो चोरो को मय सरिया के बंडल के साथ पकड़ लिया और जब मैने उन दोनो चोरो का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सुरेन्द्र गौड़ तथा दूसरे ने अपना धीरज यादव उर्फ अभिषेक यादव बताया। प्रार्थी दोनो चोरो को मय सरिया के बंडल समेत थाने पर लाया है।

4. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण ड्राइवर है, पुलिस द्वारा पैसे के लेन देन के कारण फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थीगण दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार अयोध्या में निरूद्ध है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद अभियुक्त है। अभियुक्तगण के कब्जे से सरिया की बरामदगी की गई है। अभियुक्त धीरज के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त दो अन्य मुकदमे तथा अभियुक्त सुरेन्द्र गौड़ के विरूद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त सात अन्य आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्तगण आपराधिक किस्म के व्यक्ति है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगणों उसकी कंपनी का सरिया चुराने का आरोप लगाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुबह करीब 6.30 बजे अभियुक्तगण को पकड़े जाने की बात कही गई है परन्तु वादी द्वारा अभियुक्तगण को दोपहर 2 बजे दिन में थाने ले जाना कहा गया है। घटना स्थल से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त धीरज यादव के विरूद्ध दो अन्य आपराधिक मुकदमे (1) अपराध संख्या 122/2016, थाना कोतवाली अयोध्या, धारा 60 उ०प्र०उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम (2) 04/2024, थाना कोतवाली नगर, धारा 379, 411 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त सुरेन्द्र गौड़ के विरूद्ध सात अन्य आपराधिक मुकदमे (1) अपराध संख्या 412/2018, थाना कोतवाली अयोध्या, धारा 4/25 आयुध अधिनियम (2) अपराध संख्या 413/2018, थाना कोतवाली अयोध्या, धारा 380, 411 भा०दं०सं० (3) अपराध संख्या 466/2018, थाना कोतवाली अयोध्या, धारा 60 आबकारी एक्ट व धारा 272 भा०दं०सं० (4) अपराध संख्या 690/2018 थाना कोतवाली नगर, धारा 60(1) उ०प्र०उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम (5) अपराध संख्या 608/2025, थाना कोतवाली नगर, धारा 115(2), 191(2), 351(3), 352 बी.एन.एस. (6) अपराध संख्या 01/2026 थाना कोतवाली नगर, धारा 60(1) उ०प्र०उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम (7) अपराध संख्या 88/2020, थाना राम जन्म भूमि, धारा 60 उ०प्र०उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम पंजीकृत है। परन्तु किसी भी मुकदमे में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना नहीं कहा गया है। अभियुक्तगण दिनांक 07.05.2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **सुरेन्द्र गौड़, धीरज यादव उर्फ अभिषेक यादव** द्वारा मु.अ.सं.– 232/2026 अंतर्गत धारा– 305(a), 317(2) बी.एन.एस, थाना कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 30000 (तीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो – दो प्रतिभूगण सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

दिनांक–06.06.2026

प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं.–1, अयोध्या